भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 389
दिनांक 2 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

एनडीएमए और एनडीएमएफ के तहत योजनाओं की स्थिति

†389. श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश विशेष रूप से अनंतपुर में एनडीएमए द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन या शमन से संबंधित किए गए सर्वेक्षण और अध्ययन का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) और अन्य एनडीएमए सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव का पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा परियोजना का नाम, नोडल एजेंसी, समाधान की आपदा का प्रकार, प्रस्तुत करने की तारीख, अनुमानित लागत, वर्तमान स्थिति, अनुमोदन की तारीख, यदि लागू हो और स्वीकृति या कार्यान्वयन में किसी भी देरी के कारण आदि का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान एनडीएमए और एनडीएमएफ के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को वर्ष-वार और परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और संवितरित की गई ; और

(ङ) क्या सरकार किसी लंबित आपदा शमन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण में तेजी लाना चाहती है और इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ड.): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है और आवश्यक रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 389, दिनांक 02.12.2025

विकासात्मक योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने और विकासात्मक पहलों की स्थिरता सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक नागरिक को कवर करने के लिए इसकी पहुंच को व्यापक बनाने हेतु जोखिम न्यूनीकरण के प्रति समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के लिए, एनडीएमए ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) को संशोधित किया है, जिसमें आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए हितधारकों को एक रूपरेखा और निर्देश प्रदान किए गए हैं।

एनडीएमपी के उद्देश्यों में से एक बहु-खतरा आपदा जोखिमों पर व्यापक सर्वेक्षणों को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों सहित क्षेत्रीय आपदा जोखिम आकलन और मानचित्रों का विकास करना है। एनडीएमए ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, विशेषकर अनंतपुर में, आपदा जोखिम प्रबंधन या शमन संबंधी कोई विशिष्ट सर्वेक्षण और अध्ययन नहीं किया है।

एनडीएमए, आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आपदा शमन कोष और अन्य एनडीएमए समर्थित योजनाओं के अंतर्गत उनकी शमन परियोजनाओं की तैयारी में सहायता प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार के प्रस्तावों पर संबंधित दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। एनडीएमएफ के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:-

कार्यक्रम /परियोजना/ योजना अनुमोदन की तारीख	कुल वित्तीय परिव्यय उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित	आंध्र प्रदेश के लिए कुल वित्तीय परिव्यय अनुमोदित	आंध्र प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से स्वीकृत केंद्रीय अंश	उपयोग के लिए जारी
शहरी बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम चरण-II [विशाखापत्तनम के लिए] 30.09.2025	2444.42	222.22	200.00	-
बारह सर्वाधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता कार्यक्रम [आंध्र प्रदेश सहित 12 राज्य] 28.01.2025	2022.16	174.70	100.00	50.00

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 389, दिनांक 02.12.2025

सर्वाधिक आकाशीय बिजली प्रवण 50 जिलों में आकाशीय बिजली सुरक्षा हेतु शमन परियोजना [आंध्र प्रदेश सहित 10 राज्य] 28.01.2025	186.78	11.71	9.94	-
वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए शमन योजना [आंध्र प्रदेश सहित 19 राज्य] 28.01.2025	818.92	18.48	16.80	-

इसके अतिरिक्त, काकीनाडा तट और विशाखापत्तनम महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (वीएमआरडीए) क्षेत्रों के लिए तटीय रेजिलिएंस बढ़ाने हेतु कुल 526 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.08.2024 और दिनांक 07.11.2024 को प्रस्तुत किए गए हैं।

राज्य द्वारा दिनांक 10.07.2025 को श्रीकाकुलम जिले में नागावली और वंसधारा नदी के मुहाने पर नदी के मार्ग के बदलाव और नदी तट के कटाव को कम करने के लिए शमन उपायों हेतु भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 98 करोड़ रुपये है।

एनडीएमएफ के दिनांक 28.02.2022 के दिशानिर्देशों में राज्य से प्राप्त शमन परियोजनाओं/प्रस्ताव के मूल्यांकन और अनुमोदन के साथ-साथ वित्तपोषण के लिए प्रशासनिक तंत्र निर्धारित किया गया है। दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार परियोजनाओं/प्रस्तावों पर वित्त पोषण के लिए विचार किया जाता है। हालाँकि किसी भी परियोजना/प्रस्ताव के लिए स्वीकृत धनराशि की पहली किस्त व्यय विभाग के परामर्श से शीघ्रता से जारी कर दी जाती है, तथापि, राज्यों को आगे की किस्त पिछली किस्तों में जारी की गई धनराशि के 75% के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी की जाती है।

***